मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल.

प्रकरण कमांक एम.एस.सी.एफ.सी. /581/2015

आ. क्र. एमएसईएफसी/314-315,
दिनांक - 23/06/2020

आवेदक :-
मेसर्स हिमांशु ट्रेडिंग,
303 ब्लॉक नं0 सी 5, तीसरी मंजिल,
पारस हारमिटेज, होशंगाबाद रोड़,
भोपाल.

विरुद्ध

अनावेदकगण :-
मेसर्स प्राईम पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
287–288, फेस–2,
उद्योग विहार,
गुड़गांव – 122 016

अंतिम सुनवाई दिनांक 09.06.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक : 23.06.2020

आवेदक मेसर्स हिमांशु ट्रेडिंग भोपाल द्वारा मेसर्स प्राईम पॉवर गुड़गांव के विरुद्ध काउंसिल में दिनांक 19–01–2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा अनावेदक को पावर जनरेटिंग इम्यूपमेंट प्रदाय, इरेक्शन सेवा के विरुद्ध भुगतान राशि रु0 3,55,65,124/– + सीएसटी, 3,11,803/–, इस प्रकार कुल मूलधन राशि रु0 3,58,76,927/– (रु0 तीन करोड़ अट्ठावन लाख छियत्तर हजार नौ सौ सत्ताईस) एवं इस राशि पर दिनांक 31–12–2014 तक की ब्याज राशि रु0 1,77,50,504/– (रु0 एक करोड़ सतत्तर लाख पचास हजार पांच सौ चार) का दावा पेश किया गया।

आवेदक द्वारा अनावेदक से प्राप्त विभिन्न कार्यादेश एवं उक्त कार्यादेशों के अतिरिक्त कुछ कार्य औपचारिक/आकस्मिक मांग अनुसार किये गये। अनावेदक के 17 आदेशों के विरुद्ध आवेदक द्वारा कार्य उपरांत प्रस्तुत देयकों की कुल राशि रु0 6,34,20,218/– के विरुद्ध राशि रु0 2,78,06,672/– का भुगतान अनावेदक द्वारा किया गया है।

अनावेदक को आवेदन की प्रति भेज कर 15 दिवस में उत्तर चाहा गया। अनावेदक द्वारा आवेदन के संबंध में कोई जवावदावा प्रस्तुत नहीं करते हुए, ऑर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में पूर्व से प्रचलित प्रकरण का संदर्भ देते हुए, प्रकरण काउंसिल में सुनवाई योग्य न होने संबंधी कथन प्रस्तुत किये गये, जिसे काउंसिल द्वारा परीक्षण उपरांत अमान्य किया गया है।

प्रकरण में ग्यारह सुनवाई बैठकें यथा कमशः दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 18.02.2016, 27.04.2016, 03.11.2016, 15.03.2017, 27.01.2018, 27.08.2018, 11.09.2019, 30.10.2019 एवं 09.06.2020 को आहूत की गई।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रदाय आदेश की शर्तानुसार विवाद के लिये जारी कार्यादेशों के अनुसार को नियुक्त आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा विवाद का समाधान करने हेतु निवदन किया गया।

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध में विवाद के निपटारे हेतु नियुक्त आर्बिट्रेटर की प्रोसेडिंग्स को अपास्त करने एवं एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुनवाई करने की अनुमति देने हेतु आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक WP-4564-2016 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 06.09.2019 को आदेश पारित किया गया कि आर्बिट्रेटर अथवा एमएसएमईडी काउन्सिल को प्रकरण की सुनवाई विधि के अनुरूप करने की स्वायत्ता प्रदान की गई है।

प्रकरण में अनावेदक मेसर्स प्राईम पॉवर कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा आवेदन पत्र दिनांक

.....2

Scanned by CamScanner

09.12.2019 से उत्तर प्रस्तुत किया तथा लेख किया कि दिनांक 30.11.2019 से इस प्रकरण को आर्बिट्रेल ट्रिव्यूनल, दिल्ली द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2015 एवं आर्बिट्रेल ट्रिव्यूनल, दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.019 में समान पक्षकार एव समान वाद विषय –"अनावेदक द्वारा दिनांक 30.03.2010 द्वारा दिये गये कार्यादेश/इरेक्शन के आवेदक को अनियमित भुगतान" पर निर्णय है। काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2015 में भी आवेदक द्वारा वाद की विषय वस्तु दिनांक 30.03.2010 से 30.05.2012 (दोनो तिथिया शामिल) के मध्य अनावेदक द्वारा आवेदक को दिये गये कार्यादेश/क्रयादेश उद्धत/दर्शित किया गया है। अतः दायर प्रकरण पूर्व न्याय सिद्धान्त (Res Judicata) के अन्तर्गत आने के कारण प्रचलन/सुनवाई योग्य नही है।

आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.01.20220 से अनावेदक के पत्र दिनांक 09.12.2019 का प्रतिउततर दिया जिसमें बिन्दुवार विभिन्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रमुखता से लेख किया कि सूक्ष्म, लघु एव मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 एवं 24 में किसी भी अन्य विधि का ओव्हर रूल करने के लिये प्रावधान है। अतः रेस ज्यूडिकेटा की आपत्ति निराधार है।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों के परीक्षण उपरांत काउंसिल द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में समान पक्षकार एवं समान वाद विषय पर आर्बिट्रेल ट्रिव्यूनल, दिल्ली द्वारा दिनांक 30.11.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2019 के अन्तर्गत आर्बिट्रेटर को प्रकरण की सुनवाई विधि के अनुरूप करने की स्वायत्ता प्रदान की गई है।

अतएव "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017 के नियम 9 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काउन्सिल निर्णय देती है कि प्रकरण पूर्व न्याय सिद्धान्त (Res Judicata) के अन्तर्गत आने के कारण आवेदक द्वारा परिषद में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2015 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों का प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव 'मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटशन सुविधा परिषद' भोपाल को आवेदन कर प्रति पृष्ठ हेत रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

23/6.

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
सहायता परिषद, भोपाल।

23/6/20

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सहायता परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

23/6

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सहायता परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास सस्थान, भोपाल।

Scanned by CamScanner